

# हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(पंचम सत्र)

लिखित उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

वीरवार, 15 फरवरी, 2024/26, माघ, 1945 (शक्)

----

[मुख्य मंत्री - उप-मुख्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - कृषि मंत्री - उद्योग मंत्री - राजस्व मंत्री - शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - लोक निर्माण मंत्री - नगर एवं ग्राम योजना मंत्री तथा आयुष मंत्री ] .

कुल प्रश्न - 1

----

## नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम

260 श्री केवल सिंह पठानिया (शाहपुर):

क्या नगर एवं ग्राम योजना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम कब लागू हुआ; नगर निगम व नगर पंचायतों में भवन निर्माण हेतु नक्शों की स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा दी जाती है;

(ख) नगर निगम व नगर पंचायतों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इन नियमों के अन्तर्गत भवनों का कितनी मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है; और

(ग) प्रदेश में इन नियमों की अवहेलना करके अब तक कितने भवनों का निर्माण किया गया है; ब्यौरा दें?

----

शिमला: 171004

यशपाल शर्मा,  
सचिव।